न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2020 अपील

विष्णु कुमार बांगड पुत्र रतनलाल बांगड, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नम्बर 15,17,18,19,20 ग्राम बनेडा, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा	बनाम 1. जिला रसद अधिकारी भीलवाडा जरिये न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा एवं प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा
–अपीलार्थी	–विपक्षी

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के तहत विरूद्व जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण संख्या 126/2015 दिनांक 30.09.2019 तथा कमांक आदेश 634 दिनांक 01.10.2019 विभागीय कार्यवाही

उपस्थित –

1. श्री गणेश लाल जोशी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विभागीय पेरोकार – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.06.2022

अपीलार्थी की ओर से एक अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण संख्या 126/2015 दिनांक 30.09.2019 तथा कमांक आदेश 634 दिनांक 01.10.2019 का विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 170/1988 के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न सामग्री वितरण एवं कैरोसीन वितरण का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा के द्वारा जारी होने से नियमानुसार वितरण व्यवस्था की जा रही हैं। पूर्व में बिना किसी आधार के विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 21/08/2015 को जवाब चाहा गया जिसमें प्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद दिनांका 02/08/2017 को इस आशय से प्रकरण ड्रोप किया गया कि मुझ प्रार्थी का वार्ड संख्या 21 की कोई उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र जारी नही है तथा न ही वार्ड संख्या 21 में खाद्यान्न वितरण का आदेश था तथा दिनांक 21/08/2015 के जवाब में बिन्दु वाईज जवाब प्रस्तुत किये जा चुका था। इस प्रकार कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी थी इसके पश्चात पुनः प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा दिनांक 18/08/2015 के निरीक्षण में आरोप तय करके अधीनस्थ न्यायालय दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

की जाकर मुझ प्राथी/अपीलार्थी का वार्ड नम्बर 15, 17, 18, 19 20 ग्राम बनेड़ा का जारी प्राधिकार पत्र संख्या 170/1988 के निरस्त किया जाकर जमाशुदा समस्त प्रतिभूति जब्त सरकार का आदेश जारी किया गया जो विधि विरूद्व हैं। दिनांक 30/11/2015 को प्रस्तुत जवाब के निम्न अंश हैः–

माह अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 एनएफएस योजना के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण बाबत 21 अप्रेल 2015 को राजस्थान पत्रिका में न्यूज दिलाई कि अब खाद्यान्न तहसील स्तर पर पटवारी/ग्रामसेवक द्वारा नये राशन कार्डो का सत्यापन करने के बाद ही खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। अतः आदेशानुसार पटवारी/ग्रामसेवक से सत्यापन नहीं होने के कारण सामग्री नहीं दी गई है एवं सत्यापन होने के बाद राशन कार्ड धारको को राशन सामग्री दी गई है जिसके न्यूज पेपर की फोटोप्रति संलग्न है।

नीला केरोसीन 4 लीटर के स्थान पर 3 लीटर दिया जा रहा है अतः निर्देशानुसार राशन कार्डो के अनुपात में केरोसीन कम आंवटन किया गया जिस कारण पुरी बनेड़ा तहसील में उपखण्ड अधिकारी के मौखिक आदेश के अनुसार 3 लीटर एवं 2 लीटर से पुरी तहसील क्षेत्र में वितरण किया जा रहा है व अभी भी उसी प्रकार से वितरण किया जा रहा है।

डीलर ग्राम पंचायत की बैठको में उपस्थित नहीं होता है इस संबंध में निवेदन है कि जब भी ग्राम पंचायत द्वारा मिटिंग की सूचना दी गई तब से मै मिटिंग में उपस्थित हुआ हूँ मिटिंग की सूचना नही देने पर उपस्थित होना संभव नहीं होता है।

डीलर द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन सतर्कता समिति द्वारा नहीं कराया जाता है इस संबंध में निवेदन है कि सतर्कता समिति चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व की कमेटी निरस्त हो गई एवं नई कमेटी नहीं थी तथा ग्राम सेवक द्वारा एक ही चयनित नम्बर से दो व्यक्ति अलग अलग राशनकार्ड जारी करना राजकीय पेन्सनर को एनएफएस का लाभ दिलाने एक व्यक्ति के दो राशनकार्ड पर सत्यापन करना एवं शादी होने के बाद भी पुत्री का नाम लिखकर गलत फायदा दिलाने चाहते है, नहीं देने के कारण हस्ताक्षर करने से मना करने के कारण हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। एक एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राशन कार्ड पर राशन सामग्री दिलाना चाहते है एवं इनके दस्तावेज की जांच बाबत पेश कर दिया जावेंगा।

दुकान पर हेल्प लाईन नम्बर का प्रर्दशन नहीं करने बाबत इस संबंध में निवेदन है कि

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मेरे द्वारा पूर्व की दुकान पर सभी नम्बर लिखवा रखे थे दुकान दिनांक 29/07/2015 को अस्थाई तौर पर ली गई है। स्थाई नहीं होने से मेरे द्वारा अस्थाई बोर्ड पर फलेक्स बोर्ड पर लिखाकर बाहर लगा रहे थे और दीवार पर पुनः खाली करने के कारण अस्थाई तरीके से लिख रखे थे जो स्थाई दुकान प्रमाणित करवाने पर दुकान की दीवार पर लिखवा दिया जायेगा व दुकान को पुनः दिनांक 25/10/2015 को खाली भी करना था। दुकान पर आवश्यक सूचना का प्रर्दशन नहीं किया गया था इस संबंध में निवेदन है कि मेरे द्वारा मुल्य सूची बोर्ड लगा रखा था व सूचना पट्ट अस्थाई बोर्ड जिस पर लिखकर दुकान के बाहर लगा रखा था जो स्थाई रूप से होने पर लिखा दिया जायेगा।

दुकान का गोदाम का नक्शा प्रमाणित नहीं है इस संबंध में निवेदन है कि मेरे मकान, दुकान मालिक द्वारा दुकान खाली करवाये जाने के कारण मेरे द्वारा अस्थाई रूप से दुकान लेकर उपखण्ड अधिकारी को सूचना देने के बाद ही दुकान का परिवर्तन किया गया था जिसकी फोटोप्रति संलग्न है ।

दुकानदार द्वारा 49 अपास सिंगल गैस धारियों पर 2 लीटर केरोसीन देने के संबंध में निवेदन है कि मेरे द्वारा जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमाक/रसद/करोसीन/606 दिनांक 02–07–2010 की पालना एवं उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के मौखिक आदेशानुसार पूरी तहसील में इसी प्रकार वितरण किया जा रहा था इसके बाद हमे कोई न तो आदेश प्राप्त हुए और न ही अधिकारीगण द्वारा मना किया गया था। अब दिनांक 18/08/2015 को आदेश प्रदान किये गये कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से पालना की जा रही है। अतः इन आरोपो को निरस्त करावे व मेरे द्वारा मासिक मंथली नहीं देने के कारण मेरे वार्डों में राशन कार्डों के अनुपात में माल आवंटन नहीं करना और जो डीलर मंथली देते है उनके राशन कार्डो में ज्यादा का आवंटन दिया जाकर फायदा दिया जाता है और सगानुपात में आवंटन नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत बनेडा द्वारा एनएफसी की प्रथम सूची में 2086 की है मगर आवंटन अधिकारी के द्वारा 3012 का आवंटन किया गया है। वह दिनांक 02.04.14, 03.04.2015, 14.08.14, 09.09.14 एवं दिनांक 09.01.15 से मुझे मेरे पास वार्ड नम्बर 20 होते हुए भी वार्ड नम्बर 20 का माल का आंवटन नही किया गया।

इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया हैं तथा प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा नियमित रूप से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जाता रहा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है कि गांव के बाहर वितरण व्यवस्था में कठिनाई आ रही है क्योंकि बाहर दुकान किराये पर नही मिल रही है। अतः वितरण व्यवस्था स्वीकृत स्थान की बजाय ग्राम बनेड़ा में ही गांव के अन्दर ही वितरण व्यवस्था का आदेश फरमाया जावे इस पर किसी भी एक वार्ड में वितरण व्यवस्था की स्वीकृति दी गई है। प्रार्थी के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि नवीन गोदाम/दुकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था हेतु किसी अन्य से कराई जावे और प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर ही क्रय विक्रय सहकारी समिति बनेड़ा को अधिकृत किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी बनेडा ने दिनांक 14/09/2018 को अपनी टिप्पणी जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वर्षो से अटेचमेन्ट चल रहा है जिससे परेशानी बनी रहती है। अतः मुझ डीलर को इस शर्त पर गांव के अन्दर वितरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाये कि वह शीघ्र ही गांव के बाहर ही दुकान/गोदाम की व्यवस्था कर लेगा अगर व्यवस्था नहीं कर पाता है तो बनेड़ा पंचायत मुख्यालय पर कार्यरत डीलरों के आवंटित वार्डो का पुर्नगठन किया जाकर स्थाई रूप से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज दिनांक तक पुर्नगठन नहीं किया गया है तथा जानबुझकर मुझ प्रार्थी /अपीलार्थी को दोषी बताया जाकर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाकर प्राधिकृत को निरस्त कर एवं जमाशुदा समस्त राशि जब्त सरकार के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरान्त भी प्रवर्तक निरीक्षक के द्वारा चार्ज नहीं लिया गया और प्रर्वतक निरीक्षक ने प्राधिकार पत्र निरस्त करने की अभिशंषा जिला रसद अधिकारी को की गई है। अधीनस्थ न्यायालय दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की गई है जिसमें दिनांक 18/08/2015 के निरीक्षण में आरोप पत्र दिनांक 31/08/2015 को पारित किया गया जबकि इसकी प्रति मुझे 27/10/2015 को प्राप्त हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18/08/2015 के जवाब हेतु दिनांक 05/10/2015 को चाहा गया जबकि मुझे नोटिस की प्रति 27/10/2015 को प्राप्त हुई । दिनांक 27/10/2015 को प्राप्त नोटिस बाबत जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को दिनांक 28/10/2015 को निवेदन किया गया कि दिनांक 31/08/2015 का नोटिस दिनांक 05/10/2015 को प्राप्त नहीं हुआ तथा दिनांक 27/10/2015 को प्राप्त हुआ है इस बाबत मुझ प्रार्थी ने दिनांक 28/10/2015 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से निवेदन किया गया था। माल उठाने के लिए दिनांक

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

31/08/2015 को कृष्ण गोपाल नुवाल को अधिकृत किया गया किन्तु नुवाल ने स्टॉक नहीं लिया जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय को मुझे प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा जरिये रजिस्टर्ज डाक से दिनांक 10/09/2015, 17/09/2015, 30/09/2015, 10/10/2015, 28/10/2015 , 05/02/2016, को निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मेरे द्वारा जनसुनवाई में दिनांक 10/02/2016 को लिखित में प्रार्थनापत्र इस बाबत पेश किया गया और श्रीमान जिला कलेक्टर के मौखिक आदेश से जनसुनवाई में होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने 90 दिन बीत जाने के बाद कय विक्रय सहकारी समिति बनेड़ा को वितरण हेतु आदेश किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मुझे जानबुझकर दुर्भावना से ग्रस्त होने के कारण प्राधिकार पत्र को निरस्त व प्रतिभूतियों की जब्ती के आदेश पारित किये गये है। जानबुझकर आज दिनांक तक वार्डो का पुनर्गठन सामग्री वितरण हेतु नहीं किया गया है तथा आवंटन में पूर्ण रूप से पक्षपात किया गया है। तथा मेरे द्वारा स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त भी मेरे प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है तथा दिनांक 29/07/2015 को नजरी नक्शा पेशशुदा था तथा एक गैस सिलेण्डर वाले राशन कार्ड धारी को 2 लीटर प्रति कार्ड श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमाक/रसद/केरोसीन/2010/606 दिनांक 02.07.2010 को जारी किये गये और उसी अनुसार वितरण किया गया था। रहा सवाल खाद्यान्न वस्तु के वितरण के संबंध में पटवारी/ग्रामसेवक के प्रमाणिकरण के बाद किया जाना था लेकिन इनके अभाव में नहीं किया गया। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने की कृपा करावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 18.11.2019 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक/6641 दिनांक 01.07.2020 से तहसील बनेडा क्षैत्राधिकार की पत्रावलियों मे सुनवायी हेतु न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को पत्रावलियां स्थानान्तरित की गयी। न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रकरण संख्या 19/2020 दिनांक 01.07.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षों को न्यायालय में आगामी तारीख पेशी को उपस्थित होने हेतु

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

सूचित किया गया। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के पत्रांक/रसद/अभियोजन/2021/1022 दिनांक 24.09.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा नियमित रूप से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जाता रहा है कि गांव के बाहर वितरण व्यवस्था में कठिनाई आ रही है क्योंकि बाहर दुकान किराये पर नही मिल रही है। अतः वितरण व्यवस्था स्वीकृत स्थान की बजाय ग्राम बनेड़ा में ही गांव के अन्दर ही वितरण व्यवस्था का आदेश फरमाया जावे इस पर किसी भी एक वार्ड में वितरण व्यवस्था की स्वीकृति दी गई है। प्रार्थी के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि नवीन गोदाम/दुकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था हेतु किसी अन्य से कराई जावे और प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर ही क्रय विक्रय सहकारी समिति बनेड़ा को अधिकृत किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी बनेडा ने दिनांक 14/09/2018 को अपनी टिप्पणी जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वर्षो से अटेचमेन्ट चल रहा है जिससे परेशानी बनी रहती है। अतः मुझ डीलर को इस शर्त पर गांव के अन्दर वितरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाये कि वह शीघ्र ही गांव के बाहर ही दुकान/गोदाम की व्यवस्था कर लेगा अगर व्यवस्था नहीं कर पाता है तो बनेड़ा पंचायत मुख्यालय पर कार्यरत डीलरों के आवंटित वार्डो का पुर्नगठन किया जाकर स्थाई रूप से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज दिनांक तक पुर्नगठन नहीं किया गया है तथा जानबुझकर मुझ प्रार्थी /अपीलार्थी को दोषी बताया जाकर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाकर प्राधिकृत को निरस्त कर एवं जमाशुदा समस्त राशि जब्त सरकार के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरान्त भी प्रवर्तक निरीक्षक के द्वारा चार्ज नहीं लिया गया और प्रर्वतक निरीक्षक ने प्राधिकार पत्र निरस्त करने की अभिशंषा जिला रसद अधिकारी को की गई है। अधीनस्थ न्यायालय दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की गई है। प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने की कृपा करावें।

विपक्षी की ओर से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी विष्णु कुमार बांगड उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 15,17,18,19,20 बनेडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

तहसील बनेडा का प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा द्वारा दिनांक 18.08.2015 को निरीक्षण किये जाने पर निम्न अनियमितताएं पायी गयी –

1. माह अप्रैल 2015 के बाद एनएफएसए योजना के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नही किया गया।
2. नीला केरोसिन 04 लीटर प्रति उपभोक्ता के स्थान पर 03 लीटर प्रति उपभोक्ता वितरण किया जा रहा हैं।
3. डीलर ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित नहीं होता हैं
4. डीलर द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन सतर्कता समिति द्वारा नहीं करवाया जाता है।
5. दुकान पर हेल्पलाईन नम्बर का प्रदर्शन नही पाया गया।
6. दुकान पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं किया गया है।
7. दुकान /गोदाम का नक्शा प्रमाणित नहीं हैं।
8. दुकानदार द्वारा 49 अपात्र (सिंगल गैर कनेक्शन सिलेण्डरधारी) उपभोक्ताओं को 02 लीटर प्रति उपभोक्ता नीला केरोसीन वितरण किया जाना पाया गया।

प्रवर्तन निरीक्षण ने अपनी टिप्पणी में भी अंकित किया कि अपीलार्थी द्वारा टालमटोल करते हुए वितरण कार्य प्रारंभ नहीं करने से, वितरण कार्य करने का इच्छुक नहीं प्रतीत होने के कारण जारीशुदा प्राधिकार पत्र 170/1988 को निरस्त करते हुए जमाशुदा समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार पाया कि अपीलार्थी डीलर को वितरण व्यवस्था प्रारंभ करने के लिये कई बार अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी अपीलार्थी डीलर द्वारा वितरण कार्य प्रांरभ नहीं किया गया।

अपीलार्थी डीलर द्वारा दुकान /गोदाम का नक्शा भी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं कराया गया। प्रवर्तन अधिकारी की टिप्पणी से भी जाहिर होता हैं कि अपीलार्थी डीलर द्वारा अपने क्षैत्र में वितरण कार्य हेतु चार्ज नहीं लेकर वितरण कार्य को

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

टालमटोल करता चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा ने अपीलार्थी डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 का स्पष्ट उल्लघंन करना पाये जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश, 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी डीलर को जारीशुदा प्राधिकार पत्र 170/1988 को निरस्त करते हुए जमाशुदा समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने के जो आदेश पारित किये गये उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण संख्या 126/2015 दिनांक 30.09.2019 तथा क्रमांक आदेश 634 दिनांक 01.10.2019 अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 126/2015 दिनांक 30.09.2019 तथा क्रमांक आदेश 634 दिनांक 01.10.2019 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा